न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आदेश

जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–10 दिनांक 01.01.2025 के क्रम में मैं, डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163 के तहत पटना जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग–8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 11.01.2025 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग–8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 03.30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

यह आदेश दिनांक 06.01.2025 से दिनांक 11.01.2025 तक पटना जिला में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 05.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

ह०

(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक....................../विधि पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०

जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक....128......../विधि पटना, दिनांक– 05/01/25

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05.01.25

जिला दंडाधिकारी,
पटना।

DISTRICT MAGISTRATE
PATNA

Scanned with OKEN Scanner